पत्रांक–8 / RTE 15–02 / 2020.........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः– निजी प्रारंभिक विद्यालयों का प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु e-sambandhan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 एवं बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली–2011 नियम–11 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से प्रस्वीकृति प्राप्त करना है। प्रारंभिक निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति जिला स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के तहत दी जाती है। उक्त प्रस्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को Online किये जाने के निमित्त e-sambandhan पोर्टल विकसित किया गया है। प्रस्वीकृति हेतु शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर Important Links में e-sambandhan या edu-online.bihar.gov.in पर आवेदन किया जा सकेगा।

उक्त व्यवस्था को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं:–

1. उक्त नई व्यवस्था के तहत पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का ऑनलाइन Document upload करायी जाय। Document upload का कार्य दिनांक 30.09.2021 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर ली जाय। तत्पश्चात् प्रस्वीकृति प्राप्त सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों का निर्धारित माप दंड के तहत जाँचोपरांत प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर यह कार्य दिनांक 31.12.2021 तक निश्चित रूप से कर ली जाय। जिससे दिनांक 31.12.2021 तक पूर्व से प्रस्वीकृत प्राप्त प्रारंभिक निजी विद्यालय का QR Code वाली प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत हो सके।

2. पूर्व व्यवस्था के तहत प्राप्त लंबित आवेदनो पर प्रस्वीकृति संबंधी अब कोई ऑफलाइन कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिलों में निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन जो अभी लंबित है वैसे मामले में नई व्यवस्था के तहत प्रस्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु संबंधित निजी विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष / व्यवस्थापक को निदेशित किया जाय।

3. वैसे सभी निजी प्रारंभिक विद्यालयों जिनकी प्रस्वीकृति हेतु प्रबंध समिति के अध्यक्ष / व्यवस्थापक के द्वारा अब तक ऑफलाइन / ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उनसे अनिवार्य रूप से Online माध्यम से आवेदन प्राप्त कर प्रस्वीकृति की कार्रवाई कराना सुनिश्चित

Scanned with CamScanner

करें। किसी भी निजी विद्यालय का संचालन, बिना प्रस्वीकृति के दिनांक 31.12.2021 के उपरांत नहीं किया जाना है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र विभाग में जनवरी 2022 में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।

4. निजी प्रारंभिक विद्यालयों की प्रस्वीकृति हेतु प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का नियमानुसार ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :– 8/RTE 15–02/2020 514 पटना, दिनांक 27/07/2021

प्रतिलिपिः– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/7/21

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

Scanned with CamScanner